UPAD040298452022

न्यायालय अपर सिविल जज (व.श्रे.) कक्ष संख्या–3, इलाहाबाद।
वाद सं0–479/2022
अमान उल्ला बनाम बिलकीस बेगम
दिनॉकः13.01.2023

पत्रावली पेश हुई।

वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र 12ग प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया गया है कि उपरोत वाद में विपक्षी द्वारा विवादित सम्पत्ति का कब्जा दखल वादी को दे देने के कारण वाद को चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त वाद बिना शर्त वापस किये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के माध्यम से वादी द्वारा वाद वापस किये जाने की याचना की गयी है। वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा विवादित सम्पत्ति का कब्जा दखल वादी दे दिया गया है। अब वाद को चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। वादी वाद का स्वामी होता है। चूॅकि वादी स्वयं वाद अग्रसारित नही करना चाहता है। अतः वाद वादी को वापस किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 12ग स्वीकार किया जाता है। वाद, वादी को वापस किया जाता है। वादी समान वाद कारण व समान पक्षकारो के विरुद्व नया वाद संस्थित नही कर सकता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(दीक्षा श्री)
अपर सिविल जज (व0श्रे0)
कक्ष संख्या–3,इलाहाबाद।
I.D.U.P.2220